



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3395]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2017/अग्रहायण 21, 1939

No. 3395]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2017/AGRAHAYANA 21, 1939

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3871(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) तीन सौ अड़तीसवां संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
2. भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, उप-शीर्षक "अ. वाणिज्य विभाग" के अधीन,—
 - (i) प्रविष्टि 27 का लोप किया जाएगा; और
 - (ii) प्रविष्टि 32 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"32. राष्ट्रीय लोक प्रापण पोर्टल—गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस का विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव।"

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/14/2016-मंत्रि.]

रचना शाह, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2017

S.O. 3871(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Thirty Eighth Amendment Rules, 2017.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, under the heading “MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG),”—
 - (i) the entry 27 shall be omitted; and
 - (ii) for the entry 32, the following entry shall be substituted, namely:—

“32. Development, operation and maintenance of National Public Procurement Portal—Government e-Marketplace.”.

RAM NATH KOVIND

PRESIDENT

[F. No. 1/21/14/2016-Cab.]

RACHNA SHAH, Jt. Secy.